

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 30, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 21, 2025 Asadha 30, Monday, Saka 1947- July 21, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

आज्ञा

जयपुर, जुलाई 17, 2025

जी.एस.आर.40 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2025 है।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 3 का संशोधन.- राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सात" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

सं.एफ.8(4)डीओपी/ए-II /2011-26393

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, July 17, 2025

G.S.R.40 .-In exercise of the powers conferred by clause (a) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following regulations further to amend the Rajasthan Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1974, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Rajasthan Public Service Commission (Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of regulation 3.- In sub-regulation (1) of regulation 3 of the Rajasthan Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1974, for the existing expression "seven", the expression "ten" shall be substituted.

[No.F.8(4)DOP/A-II/2011-26393]

**By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.